फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2022/366 बअनवान मंजू बनाम मगाराम
वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
15/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री ओमप्रकाश दवे उपस्थित। राज पेरोकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में अपने तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि वादग्रस्त भूमि मौजा दूदनी (बाहरी क्षेत्र) में स्थित आराजी खसरा नंबर 301 में राजस्व रेकर्ड में वादीनी के भाई व माता प्रतिवादी संख्या 01 लगाये 05 के नाम खातेदारी दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के पूर्व राजस्व रेकर्ड में माला पुत्र राईगा मेघवाल के नाम खातेदारी के इन्द्राज थी। दिनांक 26.07.1999 को मालाराम की मृत्यु के उपरांत नामांतरकरण संख्या 380 दिनांक 26.07.1999 स्वीकृत होने से वादीनी का नाम माला के उत्ताराधिकारी के इन्द्राज नहीं किया। हल्का पटवारी व सरपंच दूदनी ने नामांतरकरण तस्दीक करते समय बिना जांच कर नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने से वादीनी का नाम मालाजी के उत्तराधिकारी के इन्द्राज नहीं हुआ। वादीनी मालाजी के उत्तराधिकारी होने से मालाजी के 1/6 हिस्से के खातेदार घोषित होने की हकदार है। वादग्रस्त आराजी में वादीनी के पिता की मृत्यु उपरांत नामांतरकरण संख्या 380 के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज से वादीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त आराजी में वादीनी का नाम इन्द्राज नहीं होने की जानकारी दिनांक 17.09.2022 को नामांतरकरण की नकल लेने से हुई है। जिससे वाद अन्दर अवधिकाल प्रस्तुत किया है। अतः वादग्रस्त आराजी में वादीनी को 1/6 हिस्से की खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि वादीनी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिससे यह साबित नहीं होता है कि वादीनी माला पुत्र राईगा मेघवाल की पुत्री है। अतः वादीनी द्वारा ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) में स्थित आराजी खसरा नंबर 301 रकबा 0.50 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.) 15/9/25 सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

मंजु पुत्री मालाराम पत्नी सवारामजी जाति मेघवाल निवासी दूदनी हाल कोठार तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मगाराम पुत्र मालारामजी
2. पुखराज पुत्र मालारामजी
3. तेजाराम पुत्र मालारामजी
4. दलाराम उर्फ दीपाराम पुत्र मालारामजी
5. श्रीमती रबी उर्फ रम्बादेवी पत्नी मालारामजी जातिगण मेघवाल निवासीगण दूदनी तहसील बाली
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2022 / 366

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी द्वारा ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) में स्थित आराजी खसरा नंबर 301 रकबा 0.50 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम 1955 के सबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/07/25 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner